14.12-1

राज्य द्वारा एडीपीओ

थाना गोहद से जारी आदेशिका अद्म तामील बापस प्राप्त।

आवेदक आनंद कुमार ने उपस्थित होकर निवेदन किया कि उसके पित रामप्रसाद पुत्र रोशनलाल की मृत्यु 2002 में हो चुकी है किन्तु उसे प्रकरण की कोई जानकारी नहीं थी, इस कारण से उसके द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की जा सकती जानकारी होने पर उपस्थित हुआ है। अतः प्रकरण में कम से कम राशि समहृप्रत जब्द किये जाने का निवेदन किया है।

प्रकरण का अवलोकन किया गया। अवलोकन से दर्शित जमानतदार संतोषे तथा रामप्रसाद द्वारा अभियुक्त अमृतलाल पुत्र प्रभुदयाल की 1250/— रूपए की जमानत प्रकरण क0 300/85 में प्रस्तुत की गई थी, किन्तु दिनांक 09.11.1990 को अनुपस्थिति के कारण जमानत निरस्त कर धारा 446 दप्रस की कार्यवाही प्रारम्भ की गई।

कालांतर में अन्य जमानतदार संतोषी के उपस्थित होने पर न्यायालय द्वारा दिनांक 16.10.2007 को 1250/— रूपए की जब्ती की गई। दिनांक 16.01.2008 को जमानतदार रामप्रसाद की मृत्यु हो जाने से उसके विरुद्ध कार्यवाही न किये जाने का तथ्य लेख किया गया, किन्तु जमानतदार की मृत्यु हो जाने पर भी उसकी सम्पत्ति भारित रहती है। जमानतदार रामप्रसाद का पुत्र आनंदकुमार उपस्थित हुआ है और प्रकरण समाप्त कराना चाहता है। चूंकि मूल प्रकरण वर्ष 1985 का लेख किया गया है ऐसे में यह संभावना नहीं है कि उक्त प्रकरण में कार्यवाही शेष रही हो और जमानतदार की मृत्यु भी हो चुकी है। ऐसी दशा में जमानत की राशि में से राशि कम किये जाने हेत् उचित आधार है।

अतः जमानतदार रामप्रसाद की सम्पत्ति से 100/— रूपए की राशि जमा किये जाने हेतु आदेशित किया जाता है एवं शेष राशि मुक्त की जाती है। आवेदक द्व ारा बुक क0 6909 पर राशि 100/— रूपए रसीद क0 35 पर जमा की।

प्रकरण संतुष्ठि में समाप्त किया जाता है। प्रकरण का परिणाम सुसंगत अभिलेख में दर्ज कर अभिलेखागार संचय हेतु प्रेषित है।

(A.K.Gupta)
Judicial Magistrate First Class
Gohad distt.Bhind (M.P.)